



**POLICE COMMISSIONERATE**



## **GAUTAM BUDH NAGAR**

**सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 03.10.2021**

**1-थाना दादरी पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस बरामद।**

दिनांक 03.10.2021 को थाना दादरी पुलिस द्वारा अभियुक्त दुर्वाशा पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम बैरगपुर उर्फ नई बस्ती थाना दादरी को चौधरी ढाबा बाईपास रोड दादरी से एक देशी तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त थाना दादरी का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर है।

### **अभियुक्त का विवरण:**

दुर्वाशा पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम बैरगपुर उर्फ नई बस्ती थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर।

### **पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:**

- 1.मु0अ0सं0 920/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर,
- 2.मु0अ0सं0 123/12 धारा 147, 148, 149, 307, 384, 120बी, 34 भादवि थाना जारचा गौ0बु0नगर,
- 3.मु0अ0सं0 151/12 धारा 25 आयुध अधि0 थाना जारचा गौ0बु0नगर
- 4.मु0अ0सं0 199/12 धारा 3 एन0एस0ए0 थाना जारचा गौ0बु0नगर

- 5.मु0अ0सं0 214/12 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दादरी गौ0बु0नगर
- 6.मु0अ0सं0 449/12 धारा 394, 411, 120बी भादवि थाना दादरी गौ0बु0नगर
- 7.मु0अ0सं0 724/15 धारा 147, 148, 149, 307, 302 भादवि थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद,
- 8.मु0अ0सं0 216/15 धारा 25 आयुध अधि0 थाना दादरी गौ0बु0नगर
- 9.मु0अ0सं0 142/20 धारा 392, 411 भादवि थाना दादरी गौ0बु0नगर
- 10.मु0अ0सं0 671/20 धारा 307 भादवि (पु0मु0) थाना दादरी गौ0बु0नगर
- 11.मु0अ0सं0 672/20 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना दादरी गौ0बु0नगर

### **बरामदगी का विवरण:**

एक देशी तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस



**#साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108 के सभागार में पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्री आलोक सिंह की अध्यक्षता में साइबर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।**

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री लव कुमार की मौजूदगी में तीनों ज़ोन के डीसीपी, एडीसीपी, सभी सम्बंधित सहायक पुलिस आयुक्त/थाना प्रभारी व थानों से आये करीब 200 पुलिसकर्मियों को साइबर विशेषज्ञ श्री रक्षित टंडन द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

दिनांक 03.10.2021 को साइबर अपराधों की प्रभावी रोकथाम व सम्बन्धित अपराधों की शिकायतों को लेकर थाने पर आने वाले शिकायतकर्ताओं की समस्याओं के अविलम्ब निस्तारण के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर श्री आलोक सिंह की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यशाला साइबर सम्बन्धित अपराध घटित होने पर पुलिस द्वारा किये जाने वाले प्रथम रेस्पांस के सम्बन्ध में आयोजित की गई। साइबर विशेषज्ञ श्री रक्षित टण्डन द्वारा उपस्थित सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को साइबर से सम्बन्धित अपराध होने पर पुलिस का पहला रेस्पांस क्या रहे इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से पीड़ित की शिकायत का संज्ञान लेकर उसको त्वरित रिलीफ पंहुचाने को लेकर चर्चा हुई तथा ऐसे टूल्स के विषय में भी जानकारी प्रदान की गई जिनकी मदद से साइबर अपराधियों तक पंहुचा जा सकता है।

पुलिस कमिश्नर श्री आलोक सिंह ने अपने सम्बोधन के दौरान कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन जिसमें ऑनलाइन खरीद के सम्बन्ध में विज्ञापन साझा किये जाते हैं इस प्रकार के अप्रमाणित लिंक साइबर अपराध होने की तरफ इशारा करते हैं जिनके प्रति हमें सचेत रहना होगा। साइबर अपराधों में करीब 60% मामले ऑनलाइन ठगी के ही दर्ज किये जाते हैं जिसमें लोग लालच में आकर इस प्रकार के साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। हमारा प्रयास यह है कि हम साइबर अपराध के प्रति पुलिस को अधिक सक्षम व दक्ष बनाएं तथा लोगो को भी साइबर अपराध के सम्बन्ध में अधिक जागरूक करें।

उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला का संचालन अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री लव कुमार की उपस्थिति में एडीसीपी सेंट्रल नोएडा श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा किया गया तथा तीनों ज़ोन के डीसीपी, समस्त एसीपी व थाना प्रभारियों की मौजूदगी में करीब 200 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस प्रशिक्षण का लाभ उठाया।